न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी कमांक :1123/ 11/2014

जयराम पुत्र दौलतराम अहिरवार
निवासी ग्राम गतासोनेरा तहसील
व जिला अशोकनगर —— आवेदक

विरूद्ध

1— लम्पू पुत्र चतुर्भुज नाई आयु 62
वर्ष निवासी ग्राम गतासोनेरा
तहसील व जिला अशोकनगर
——असल अनावेदक

2—बीरसिंह पुत्र फुल्ला अहिरवार
निवासी ग्राम गतासोनेरा
तहसील व जिला अशोकनगर
—तरतीवीं अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा —50 , म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 — अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 661/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21—3—14 के विरूद्ध)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि अनावेदक कमांक 1 ग्राम गतासोनेरा तहसील अशोकनगर में कोटवार पद पर पदस्थ था, उसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने , कानों से सुनवाई न देने एंव कोटवार पद का कार्य करने हेतु अक्षम पाये जाने पर श्रीमान तहसीलदार अशोकनगर ने सुनवाई उपरांत प्र0 कमांक 2 अ 56/12—13 में पारित आदेश दिनांक 5—1—13 से पद प्रथक कर दिया एंव रिक्त हुये कोटवार पद पर आवेदक की नियुक्ति आदेश दिनांक 8—1—13 से कर दी। अनावेदक कमांक—1 ने तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 47/12 —13 अपील में पारित आदेश दिनांक 27—4—13 से अपील स्वीकार कर ली। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 661/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21—3—14 से अपील

XXXI-(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1123-दो/2014 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-7-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 661/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-73-14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि लम्पू पुत्र चर्तुभुज उर्फ चतरा नाई ग्राम गता सोनेरा के कोटवार पद पर कार्यरत था। पटवारी मौजा ने नायव तहसीलदार वृत्त कचनार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कोटवार की आयु 60 वर्ष से अधिक है एंव उसकी शादी नहीं हुई है परिवार में अन्य सदस्य नही है उसके वृद्ध होने , कानों से सुनाई नहीं देने के कारण वह शासकीय कार्य नही कर पाता है । नायव तहसीलदार वृत्त कचनार ने प्रकरण कमांक 2 अ 56 /12-13 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 5-1-13 पारित करके उसे कोटवार पद से प्रथक कर दिया एंव नायव तहसीलदार वृत्त कचनार ने प्रकरण कमांक 2 अ 56 /12-13 में पारित आदेश दिनांक 5-1-13 से लम्पू पुत्र चर्तुभुज उर्फ चतरा नाई को प्रथक करने के वाद शासकीय कार्य प्रभावित न हो, उद्धेश्य से जयराम पुत्र दौलतराम अहिरवार को आदेश दिनांक 8-1-13 से अस्थाई कोटवार पर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। आदेश 5-1-13 के विरूद्ध सेवा प्रथक कोटवार लम्पू पुत्र चर्तुभुज उर्फ चतरा नाई ने अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 47/12-13 अपील में पारित आदेश दिनाक 27-4-13 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दि0 5-1-13 निरस्त कर दिया। दौलतराम अहिरवार अस्थाई नियुक्त कोटवार ने	

अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 27–4–13 के विरूद्ध अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 661/12–13 प्रस्तुत की , जो आदेश दि0 21–3–14 से निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़ के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 661/12–13 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रचलन के दौरान बीर सिंह अहिरवार व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर इस आधार पर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया कि लम्पू नाई व्दारा उसके हित में 15–1–13 को बसीयत निष्पादित की गई है इसलिये हितबद्ध पक्षकार बनाया जावे। इस संबंध में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–3–14 का पद 5 इस प्रकार है :–

" यदि रेस्पो0 क0 1 को कोटवार पद के योग्य नहीं समझा जाता है तब उसका दत्तक पुत्र रिस्पा0 क0–2 बरीयता के आधार पर एंव म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 में दिये गये प्रावधान अनुसार नियुक्ति के लिये बरीयता रखता है।''

अपर आयुक्त व्दारा इस तथाकथित दत्तक पुत्र को हितबद्ध पक्षकार मान लिया है, जबकि इस नये जोड़े गये पक्षकार बीर सिंह अहिरवार के हित में बसीयत 15–1–13 को होना बताई गई है एंव बसीयत मूल रूप में अथवा छायाप्रति के रूप में अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जब नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5–1–13 से लम्पू पुत्र चतुर्भुज उर्फ

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1123–दो/2014 निगरानी जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अश्रिभाषकों के हस्ताक्षर

चतरा नाई को कोटवार पद से प्रथक किया एंव आदेश दिनांक 8–1–13 से जयराम को अस्थाई कोटवार नियुक्त किया, उसके वाद दिनांक 15–1–13 को बीर सिंह अहिरवार के हित में बसीयत लिखना अथवा दत्तक ग्रहण करना बीरसिंह के बयवस्क व विवाहित होने से हितबद्व पक्षकार मानना त्रृटिपूर्ण है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22–1–13 को प्रस्तुत अपील एंव उसके दिनांक 27–4–13 के अंतिम निराकरण तक बीर सिंह अहिरवार पक्षकार बनने सामने नहीं आया है अपितु दिनांक 4–5–13 को अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में सुनवाई होते होते दिनांक 17–12–13 को यह व्यक्ति पक्षकार बनने आया है जिसके कारण अपर आयुक्त का बीर सिंह अहिरवार को पक्षकार माने जाने का निर्णय उचित नहीं है।

5/ विचाराधीन मामला मात्र लम्पू पुत्र चतुर्भज उर्फ चतरा नाई एंव जयराम पुत्र दौलतराम अहिरवार के बीच है। नायव तहसीलदार ने लम्पू पुत्र चतुर्भज उर्फ चतरा नाई को पटवारी की रिपोर्ट , कि लम्पू पुत्र चतुर्भज उर्फ चतरा नाई की आयु 60 वर्ष से अधिक है एंव उसकी शादी नहीं हुई है परिवार में अन्य सदस्य नही है उसके वृद्व होने , कानों से सुनाई नहीं देने के कारण वह शासकीय कार्य नही कर पाता है, पर से सेवा प्रथक किया है क्योंकि उसे कोटवार जैसे उत्तरदायी शासकीय पद के कर्तव्य निर्वहन में निर्योग्य होने से आदेश दिनांक 5–1–13 से हटाया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने निर्योग्यता से योग्यता वावत् जॉच कराये बिना अपील स्वीकार करने में त्रृटि की है और इन तथ्यों पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,

ग्वालियर ने ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखना उचित नहीं समझता हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 661/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-73-14 , अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 47/12-13 अपील में पारित आदेश दिनाक 27-4-13 एंव नायव तहसीलदार वृत्त कचनार व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ 56 /12-13 में पारित आदेश दिनांक 5-1-13 तथा आदेश दिनांक 8-2-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार अशोनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में लम्पू पुत्र चतुर्भुज उर्फ चतुरा नाई के सम्बन्ध में शारीरिक क्षमता की जांच करायें एंव हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये कोटवार पद की पूर्ति वावत् पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य